सत्र प्रकरण क्रमांक–01/2025

INDEX

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	4
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	2
3	आरोप	4
4	स्वीकृत तथ्य	4
5	अभियोजन कहानी	5–8
6	साक्षीगण का विवरण	9
7	प्रदर्शित दस्तावेज	9–10
8	सकारण निष्कर्ष	11–33
9	दण्डादेश	34
10	अभिरक्षा अवधि	34–35
11	सम्पत्ति का निराकरण	35
12	प्रतिकर का आदेश	34
13	धारा 468 भा.ना.सु.स का प्रमाण पत्र	38
14	सजा वारण्ट	संलग्न है ।
15	निर्णय की प्रति	1–37

Form–D

न्यायालय–द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड, बिलासपुर (छ०ग०) (पीठासीन न्यायाधीश–श्रीमती ज्योति अग्रवाल)	
	निर्णय दिनांक–09/07/2026 CNR No.–CGBI110000152025 सत्र प्रकरण क्रमांक–01/2025 अपराध क्रमांक–356/2024 आरक्षी केंद्र–गौरेला
अभियोजन	छ०ग० राज्य द्वारा–आरक्षी केन्द्र गौरेला, जिला–गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही(छ०ग०)
अभियोजन द्वारा	श्री कौशल सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1–गिरधारी सोनी पिता मोहन, उम्र–29 वर्ष, 2–लवकुश सोनी पिता मोहन, उम्र–27 वर्ष, दोनों निवासी– वार्ड क्रमांक 04 मंसूरी कालोनी गौरेला, थाना– गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)
अभियुक्तगण द्वारा	श्री दीवान सिंह राठौर अधिवक्ता।

Form–E

घटना दिनांक–	23/10/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–	24/10/2024
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक–	23/12/2024
आरोप पत्र विरचित दिनांक–	10/01/2025
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक–	22/04/2025
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि–	30/06/2026
निर्णय दिनांक–	09/07/2026
दंडादेश दिनांक यदि हो तो–	09/07/2026

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा अवधि
1.	**गिरधारी सोनी पिता मोहन**	24/10/2024	23/11/2024	भा०न्या०सं० की धारा–109(2) सहपठित धारा 3(5)	**दोषसिद्धि**	**भा० न्या० सं० की धारा–109 (2) सह–पठित धारा 3(5) के तहत्**	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024
2.	**लवकुश सोनी पिता मोहन**	24/10/2024	23/11/2024	भा०न्या०सं० की धारा–109(2) सहपठित धारा 3(5)	**दोषसिद्धि**	**भा०न्या०सं० की धारा–109 (2)**	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024

						सह–पठित धारा 3(5) के तहत्	

न्यायालय–सुश्री सीमा जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेण्ड्रारोड जिला–बिलासपुर (छ०ग०) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक–2282/2024, छ०ग० राज्य विरूद्ध गिरधारी सोनी वगैरह, अंतर्गत धारा–109(2), 3(5) भा०न्या०सं० में पारित उपार्पण आदेश दिनांक–03/01/2025 से उद्भूत सत्र प्रकरण ।

–::निर्णय::–

(आज दिनांक–09/07/2026 को घोषित)

1. अभियुक्तगण **गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता की 109(2) सहपठित धारा 3(5)** के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक–23/10/2024 को समय रात्रि लगभग 08:30–08:35 बजे के मध्य स्थान कमानिया गेट के पास, भागू दुकान के सामने मेनरोड गौरेला, अंतर्गत थाना गौरेला जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत कान्हा नामदेव की हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से उसके गर्दन व सिर में मारकर उपहति कारित कर हत्या करने का प्रयास किया, उक्त कार्य के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी हत्या के अपराध के दोषी होते ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है ।

3. क– **अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि** प्रार्थी अनिल नामदेव **(अ०सा०–03)** के द्वारा थाना–गौरेला में दिनांक–24/10/2024 को इस आशय का मौखिक शिकायत दर्ज कराया गया कि दिनांक 23/10/2024 को लगभग रात्रि 08:30–08:35 बजे रिषभ केशरवानी मोबाईल नंबर 8649919550 से उसके मोबाईल नंबर 8839392656 में फोन करके बताए कि उसके भाई कान्हा नामदेव को गिरधारी सोनी व लवकुश सोनी दोनों मिलकर कमानिया गेट गौरेला भागू किराना दुकान के सामने मेनरोड में जान से मारने की नियत से गले व सिर को ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया है। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर जाकर देखने पर उसका भाई कान्हा खून से लथपथ तड़प रहा था जिसे विश्वास जनरल प्रायवेट अस्पताल गौरेला ईलाज हेतु ले जाया गया । उसके भाई कान्हा नामदेव द्वारा यह बताया गया कि वह गिरधारी सोनी के दाबेली दुकान में दाबेली खाने के लिए गया था तो पुरानी रंजिश की बात पर लवकुश सोनी उसे पकड़ लिया और गिरधारी सोनी अपने दाबेली दुकान में रखे धारदार चाकू से गर्दन व सिर में जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ मारने लगा और बोलने लगा कि "उनकी दुकान के सामने ऑटो को खड़ा करके उनका धंधा चौपट करता है, ऑटो दुकान के सामने खड़ा करने से ग्राहक कम आते है, तेरे कारण उन्हें नुकसान होता है, आज तुझे सबक सिखाते है, बोलकर दोनों भाई मिलकर जान से मारने की नियत से गले और सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाए है ।" प्रार्थी के उक्त मौखिक

शिकायत के आधार पर अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी के विरूद्ध अपराध क्रमांक–356/2024 अंतर्गत धारा–109(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत् **प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी–09)** पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया ।

ख– अभियोजन का प्रकरण आगे यह भी है कि विवेचना के दौरान प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर को घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने हेतु आवेदन **(प्रदर्श पी–23)** प्रेषित किया गया था। वैज्ञानिक अधिकारी से प्रतिवेदन **(प्रदर्श पी–24)** प्राप्त किया गया था । साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त गिरधारी सोनी से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर **मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी–10)** दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा निकालकर पेश किए जाने पर एक नीले रंग का फूल टी–शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे हुए जिसे गोल घेरा किया गया है तथा एक लोहे का चाकू आर्टिकल ए–2 जिसमें लकड़ी का बेट लगा है, लोहे धारदार की लंबाई 5.5 इंच व बेट की लंबाई 4 इंच कुल 9.5 इंच लंबाई जिसमें खून का धब्बा लगा है, को जप्त कर **जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–12)** तैयार किया गया ।

ग– अभियोजन का प्रकरण आगे यह भी है कि अभियुक्त लवकुश सोनी से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर **मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी–10 ए)** दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा निकालकर पेश किए जाने पर एक ग्रे रंग का फूल टी–शर्ट

जिसमें खून का धब्बा लगा हुआ है, को जप्त कर **जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–13)** तैयार किया गया। घटनास्थल कमानिया गेट गौरेला भागू किराना दुकान के पास से तीन अलग–अलग खून लगा कॉटन स्लेब, नमूना सादा स्वेब क्रमशः 1, 2, 3, 4 नंबर दिया गया है, को साक्षियों के समक्ष जप्त कर **जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–11)** तैयार किया गया । आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर **गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः (प्रदर्श पी–14, 15)** तैयार किया गया। अभियुक्तगण की **गिरफ्तारी की सूचना (प्रदर्श पी–25)** उनके परिजन को प्रदान की गई। ई–साक्ष्य के तहत् की गई वीडियोग्राफी के संबंध में **धारा–63(4) सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–26)** प्रदान किया गया । मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्वास अस्पताल गौरेला को आहत कान्हा नामदेव के बेडहेड टिकट प्रदाय किए जाने हेतु **आवेदन (प्रदर्श पी–27)** प्रेषित किया गया । उक्त अस्पताल से आहत का डिस्चार्ज एवं भर्ती समरी **(प्रदर्श पी–02), ओटी नोट्स (प्रदर्श पी–03), एडमिशन कन्सेंट फार्म (प्रदर्श पी–04), सहमति पत्र (प्रदर्श पी–05), उच्च जोखिम सहमति (प्रदर्श पी–06), अस्पताली मेमो (प्रदर्श पी–08)** प्राप्त किया गया ।

घ– अभियोजन का प्रकरण आगे यह भी है कि सीएचसी गौरेला को आहत कान्हा नामदेव के बेडहेड टिकट के आधार पर आई चोटों का खुलासा कर रिपोर्ट दिए जाने हेतु **मुलाहिजा आवेदन (प्रदर्श पी–28)** प्रेषित किया गया ।

सीएचसी गौरेला से रिपोर्ट **(प्रदर्श पी–21)** प्राप्त किया गया। सीएचसी गौरेला को जप्तशुदा चाकू, 02 नग टी–शर्ट की क्वेरी कर रिपोर्ट प्रदान किए जाने हेतु आवेदन **(प्रदर्श पी–29)** प्रेषित किया गया । सीएचसी गौरेला से जप्तशुदा संपत्ति का क्वेरी रिपोर्ट **(प्रदर्श पी–22)** प्रदान किया गया। घटनास्थल जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा **(प्रदर्श पी–19)** तैयार किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को रासायनिक परीक्षण कराए जाने हेतु **एफएसएल ड्राफ्ट (प्रदर्श पी–30)** तैयार कराकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर को प्रेषित किया गया था, जिसकी पावती **(प्रदर्श पी–31)** लिया गया। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर द्वारा एफएसएल रिपोर्ट **(प्रदर्श पी–33)** प्रदान किया गया । घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदान किये जाने हेतु तहसीलदार पेण्ड्रारोड को **आवेदन (प्रदर्श पी–32)** प्रेषित किया गया। तहसीलदार पेण्ड्रारोड के निर्देशानुसार पटवारी द्वारा घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का अवलोकन कर गवाहों के समक्ष **नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–16)** एवं **स्थल पंचनामा (प्रदर्श पी–17)** तैयार कर तहसीलदार पेण्ड्रारोड के समक्ष ज्ञापन **(प्रदर्श पी–20)** प्रस्तुत किया गया।

4. **अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(2) सहपठित धारा 3(5)** के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाकर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित

किया जाना अस्वीकार किया गया हैं तथा विचारण किए जाने का निवेदन किया गया है। अभियुक्तगण का अभिवाक् उन्हीं के शब्दों में लेखबद्ध किये गये ।

5. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अनवर अहमद (अ०सा०–01), डॉ० सुकांत विश्वास (अ०सा०–02), अनिल नामदेव (अ०सा०–03), कान्हा नामदेव (अ०सा०–04), अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05), गुलकेशन मेरस (अ०सा०–06), डॉ० अभिमन्यु सिंह (अ०सा०–07), सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08), शुभम नगाइच (अ०सा०–09) तक के साक्षीगण के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये हैं ।

6. अभियोजन की ओर से पुलिस कथन (प्रदर्श पी–01), डिस्चार्ज एवं भर्ती समरी की सत्यापित प्रति (प्रदर्श पी–02), ओटी नोट्स (प्रदर्श पी–03), कन्सेंट फार्म (प्रदर्श पी–04), सहमति पत्र (प्रदर्श पी–05), उच्च जोखिम सहमति (प्रदर्श पी–06), अस्पताली मेमो (प्रदर्श पी–07), बेडहेड टिकट (प्रदर्श पी–08), प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी–09), मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी–10), जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–11, आर्टिकल–2/12, 13), गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी–14, 15), पटवारी नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–16), स्थल पंचनामा (प्रदर्श पी–17), पुलिस कथन (प्रदर्श पी–18), नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–19), ज्ञापन (प्रदर्श पी–20), रिपोर्ट (प्रदर्श पी–21), क्वेरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–22), आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–23), प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–24), गिरफ्तारी की सूचना (प्रदर्श पी–25), धारा

63 (4) सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र (आर्टिकल–1/प्रदर्श पी–26), आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–27), मुलाहिजा आवेदन (प्रदर्श पी–28), आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–29), एफ०एस०एल० ड्राफ्ट (प्रदर्श पी–30), पावती (प्रदर्श पी–31), आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–32), एफएसएल रिपोर्ट आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–33) आदि दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गया हैं ।

7. अभियुक्तगण का **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351** के तहत् अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट होने वाले तथ्य के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुति हेतु अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा में प्रविष्ट कराया गया। अभियोजन साक्षियों के कथन प्रश्न उत्तर बनाकर अभियुक्तगण से प्रश्न किये गये, अभियुक्तगण के द्वारा उत्तर में किए गए कथन उन्हीं के शब्दों में लेखबद्ध किए गए । अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त कर उन्हें झूठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना कथन किया गया हैं ।

8. प्रकरण में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

1. क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक–23/10/2024 को समय रात्रि लगभग 08:30–08:35 बजे के मध्य स्थान कमानिया गेट के पास, भागू दुकान के सामने मेनरोड गौरेला, अंतर्गत थाना गौरेला

जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत कान्हा नामदेव की हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से उसके गर्दन व सिर में मारकर उपहति कारित कर हत्या करने का प्रयास किया, उक्त कार्य के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी हत्या के अपराध के दोषी होते?

2. **"दोषसिद्धि एवं दण्डादेश"** ?

–//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 पर सकारण निष्कर्ष//–

9. न्यायालय को सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या आहत कान्हा नामदेव को उपहति कारित हुई है? इस संबंध में उत्तम प्रकृति की साक्ष्य स्वयं आहत एवं घटनास्थल के चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं । इस संबंध में **अभियोजन साक्षी कान्हा नामदेव (अ०सा०–04)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि उसे चाकू से गले मे, सिर में तीन स्थानों पर चोट लगी थी । अभियोजन साक्षी अनवर अहमद (अ०सा०–01) के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि जब वह रेल्वे स्टेशन के पास पहुंचा तो कान्हा नामदेव के सिर और चेहरे से खून बह रहा था जिसे वह ऑटो में उपचार हेतु अस्पताल भेजा था । अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05) के कथनानुसार वे लोग आहत को विश्वास अस्पताल उपचार हेतु लेकर गए थे । उक्त साक्षियों द्वारा आहत कान्हा नामदेव को घटना स्थान पर चोटग्रस्त हालत में देखे

जाने और शरीर के दर्शित स्थान पर उपहति होने के तथ्य को साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से विवादित नहीं किया गया है ।

10. **चिकित्सकीय साक्षी डॉ० सुकांत विश्वास (अ०सा०–02)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि दिनांक 23/10/2024 को समय 09:00 बजे आहत कान्हा नामदेव उसके हॉस्पिटल में उपचार हेतु आया था। आहत के गले में लेसरेटेड वुन्ड जो भीतर तक थी। थाईराइड कार्टिलेज मसल्स पर चोट थी जो किसी धारदार वस्तु से काटा जाना प्रतीत हो रही थी। उक्त आहत को उसके अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिनांक 23/10/2024 को आहत का उपचार के दौरान शल्य चिकित्सा की गई थी । उसके उपरांत दिनांक 24/10/2024 को सर्जरी नोट तैयार किये गये थे जिसके अनुसार आहत को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थी जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी । आहत के गले में, दांये एवं बांये कान के पिछले हिस्से पर लेसरेटेड वुन्ड था जो किसी धारदार वस्तु से पहुंचाया जाना प्रतीत होता था ।

11. **चिकित्सकीय साक्षी डॉ० सुकांत विश्वास (अ०सा०–02)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत के परीक्षण के दौरान **ओटी नोट्स प्र०पी०–03 के अनुसार** 1. प्राक्सिमल के लेफ्ट स्टर्नोहायर्ड मसल्स बेली 2. कंप्लीट डैमेज ऑफ सुप्रा फेसियल ऑन लेफ्ट साईड मिडलाईन एक्सपोज कट डिस्टल पार्ट ऑफ स्टर्नोहायर्ड बेली, क्रिको थायराइड जंक्शन एण्ड थायराइड

कार्टिलेज 3. इंटेक्ट सुपर फेसिया ऑन राईट साइड 4. पार्सियल कट ऑफ इंवेस्टिंग लेयर सुपर फेसियल सर्वाईकल फेसिया कवरिंग थायराइड कार्टिलेज की चोटें पाई गई थी । उपचार के दौरान आहत के भाई अनिल नामदेव के द्वारा उपचार हेतु सहमति **एडमिशन कन्सेंट फार्म प्र०पी०–04** प्रदान की गई थी ।

12. **चिकित्सकीय साक्षी डॉ० सुकांत विश्वास (अ०सा०–02)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि दिनांक 23/10/2024 को ही आहत के पिता लक्ष्मी प्रसाद नामदेव के द्वारा शल्य क्रिया हेतु **सहमति पत्र प्र०पी०–05** प्रदान की गई थी । आहत के पिता एवं भाई के द्वारा **उच्च जोखिम सहमति प्र०पी०–06** प्रदान की गई थी । दिनांक 23/10/2024 को आहत के भर्ती होने तथा घटना में आई चोट के कारण घटना की सूचना थाना प्रभारी गौरेला को उसके हॉस्पिटल के प्रबंधक गालिद प्रसाद गुर्जर के द्वारा **अस्पताली मेमो प्र०पी०–07** दी गई थी । आहत के भर्ती होकर उपचार कराये जाने के दौरान **बेडहेड टिकट प्र०पी०–08** प्रदान की गई थी जो 06 पृष्ठों में है ।

13. कान्हा नामदेव को इस आशय का सुझाव बचाव पक्ष की ओर से दिया गया है कि वह गिट्टी में गिरा था, इसलिए उसे चोट आई थी । चिकित्सीय साक्षी **डॉ० सुकांत विश्वास (अ०सा०–02)** को इस आशय का सुझाव दिया गया है मोटर सायकल को तेज गति से चलाते हुए नाली में गिरने से उक्त प्रकृति का चोट आ सकती है । दोनों ही सुझाव से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए

सुझाव के अनुसार आहत को जिस प्रकृति की चोट आई है, उस प्रकृति की चोट आना संभव नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि आहत को उपहति कारित हुई है। मात्र यह तथ्य संदेहास्पद करने का प्रयास बचाव पक्ष की ओर से किया गया है कि आहत को कारित उपहति किसी अपराध के कारण कारित नहीं है, परंतु यह तथ्य अखंडनीय है कि आहत को गले पर प्राणघातक चोट कारित हुई थी, जो कि धारदार हथियार से कारित होना भी प्रमाणित है। **तदुपरांत न्यायालय को यह विचार किया जाना है कि क्या आहत को आई चोटे अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई है?**

14. इस संबंध में सर्वप्रथम अवलोकनीय है कि आहत के अतिरिक्त घटनास्थल के चक्षुदर्शी **साक्षी अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05)** के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। अभियोजन साक्षी कान्हा नामदेव (अ०सा०–04) के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि वह आरोपीगण गिरधारी सोनी और लवकुश सोनी को जानता है। पिछले वर्ष दीपावली त्यौहार के समय वह दाबेली खाने आरोपीगण की दुकान गया था। उसने आरोपीगण से दाबेली लेकर उसके साथ एक अन्य दीदी थी जिसके साथ दाबेली खा रहा था। उसने आरोपीगण से बिल पूछा तब आरोपी गिरधारी सोनी उसे गाली देकर बोला कि तुम्हारा पिछला बकाया है, तब उसने उसे 45/– रुपये होता है, वह दे रहा है बोला, तब आरोपी गिरधारी सोनी ने उसे माँ की गाली देते हुये बोला कि "दे नहीं तो वह अपने हिसाब से तुझे बताता हूँ"। तब

उसने कहा कि क्या बतायेगा? तब उसके साथ जो दीदी थी उसने उसे रोड क्रास कराया । तब आरोपी ने अपने भाई को फोन करके बुलाया ।

15. **अभियोजन साक्षी कान्हा नामदेव (अ०सा०–04)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि वह जैन भोजनालय के सामने अपने दीदी से बात कर रहा था । तभी वहां दोनों आरोपीगण आकर चाकू चलाने लगे । उसे कुछ मालूम ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है । मारपीट से उसे गले एवं सिर में तीन स्थानों पर चोट आई थी । दीदी उसे डॉ. सुकान्त बिश्वास के अस्पताल में लेकर गई थी, जहाँ उसका ईलाज हुआ था । वह घटना के समय बेहोश था । दोनों भाई मिलकर उसे चाकू से मारे थे । पुलिस वालों ने पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध नहीं किया था । पुलिस वालों ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे, परंतु **नजरी नक्शा प्रदर्श पी०–19** पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ।

16. **अभियोजन साक्षी कान्हा नामदेव (अ०सा०–04)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अस्वीकार किया है कि आरोपी गिरधारी लगभग 10 सालों से दाबेली दुकान चला रहा है । यह अस्वीकार किया है कि उसे जब भी दाबेली खाना होता था तब वह आरोपी गिरधारी की दुकान जाता था । यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी की दुकान में एक–दो बार दाबेली खाने गया था। यह अस्वीकार किया है कि उसका गिरधारी की दुकान में दाबेली का पुराना पैसा बाकी था । यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर रोड में रेत और गिट्टी पड़ी हुई थी ।

17. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क के दौरान यह आपत्ति किया है कि प्रार्थी कान्हा नामदेव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है । पुराना बकाया राशि के आधार पर मांग किए जाने पर झूठा फंसाया गया है । अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है । बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में यह लेख है कि अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के संदर्भ से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस प्रकरण में आहत/प्रार्थी के द्वारा झूठा कथन किया जा रहा है । पुराना बकाया राशि की मांग के कारण कोई भी व्यक्ति स्वयं को चोट नहीं पहुंचाएगा । अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क कल्पना पर आधारित होने से मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

18. **अभियोजन साक्षी कान्हा नामदेव (अ०सा०–04)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अस्वीकार किया है कि जब वह गिरधारी के ठेले पर दाबेली खाने गया और दाबेली खाने के बाद पैसा नहीं दिया जिसपर विवाद हुआ था । यह अस्वीकार किया है कि विवाद होने पर उसने ऑटो से रॉड निकाल कर गिरधारी के साथ मारपीट किया । यह अस्वीकार किया है कि गिरधारी को मारकर भागा तो रोड पर पड़े गिट्टी पर गिरा था जिससे उसे चोट आयी थी ।

19. घटनास्थल के **चक्षुदर्शी साक्षी अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि वह कक्षा नवमी तक पढ़ा है तथा रेल्वे स्टेशन

पेंड्रारोड में सफाई का काम करता है । पिछले वर्ष लगभग 6.00 बजे शाम के आसपास वह घटनास्थल स्टेशन के पास था, तभी आरोपीगण कान्हा नामदेव पर चाकू से वार करते देखा है । उसने छुड़ाने की कोशिश किया तो उसे भी चाकू दिखाकर आरोपीगण के द्वारा धमकाया गया था । वे लोग आहत को तत्काल विश्वास अस्पताल लेकर गये, जहां आहत का उपचार किया गया । आहत को गर्दन पर चोट आयी थी ।

20. **चक्षुदर्शी साक्षी अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आहत कान्हा उसका परिचित है जो टेक्सी चलाने का काम करता है । यह कथन किया है कि उसका आहत कान्हा के साथ घर जैसा संबंध है । यह स्वीकार किया है उसका आहत के साथ व्यक्तिगत संबंध होने के कारण समय–समय पर उसके एवं कान्हा नामदेव के मध्य पैसों का लेन–देन होता रहता है । यह स्वीकार किया है कि, जब भी वह ड्यूटी पर होता है, उस समय कार्यस्थल पर उपस्थिति के संबंध में हाजरी रजिस्ट्रर में अपना हस्ताक्षर करता है । यह कथन किया गया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि, "मैने छुड़ाने की कोशिश किया तो मुझे भी चाकू दिखाकर आरोपीगण के द्वारा धमकाया गया था" यदि उक्त बात उसकी पुलिस बयान प्रदर्श०डी–01 में न लिखा हो तो वह उसका कोई कारण नहीं बता सकता ।

21. **चक्षुदर्शी साक्षी अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि यह कथन किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि, "मैं घटनास्थल स्टेशन के पास था तभी आरोपीगण कान्हा नामदेव पर चाकू से वार करते देखा है ।" यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श०डी०–01 में न लिखी हो तो वह उसका कोई कारण नहीं बता सकता। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को अपनी सफाई कार्य हेतु ड्यूटी पर था। यह कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि पूर्व में आरोपीगण से आहत की रंजिश थी या नही।

22. **अभियोजन साक्षी अनवर अहमद (अ०सा०–01**) के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि तीन–चार माह पूर्व लगभग शाम 07:00–08:00 बजे रेलवे स्टेशन के पास वह पहुंचा तो आहत कान्हा नामदेव के सिर एवं चेहरे से खून बह रहा था जिसे उसने ऑटो से उपचार हेतु अस्पताल भेजा था । उसे जानकारी नहीं है कि कान्हा नामदेव को चोट कैसे आई थी । उसके बाद वह वापस अपने घर चला गया था । घटना के विषय में उसे और जानकारी नहीं है । उसका पुलिस द्वारा बयान नहीं लिया गया था । बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि आहत कान्हा नामदेव को घटना स्थान पर सिर और चेहरे में चोट आई थी जिससे उसका खून बह रहा था ।

23. बचाव पक्ष की ओर से आहत कान्हा नामदेव के प्रतिपरीक्षण के

दौरान यह सुझाव दिया गया है कि जब वह गिरधारी के ठेले पर दाबेली खाने गया गया था और दाबेली खाने के बाद पैसा नहीं दिया था, तब विवाद हुआ था । यह भी सुझाव दिया है कि जब विवाद हुआ था तो वह ऑटो से रॉड निकालकर गिरधारी के साथ मारपीट किया था । यह भी सुझाव दिया गया है कि गिरधारी को मारकर भागा तब रोड पर पड़े गिट्टी में गिरा था जिससे उसे चोट आई थी । उक्त सुझाव से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए सुझाव को निश्चित ही अस्वीकार किया गया है, परंतु घटना के समय गिरधारी सोनी वगैरह का आहत कान्हा नामदेव से वाद–विवाद होना अखंडनीय रूप से प्रमाणित है ।

24. अभियोजन साक्षी **अमनलाल ललपुरे** (अ०सा०–05) के प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव लिया गया है कि साक्षी आहत का परिचित और उससे अच्छा संबंध होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा कथन कर रहा है, वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, परंतु बचाव पक्ष के उक्त बचाव के संबंध में यह लेख है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है वहां निश्चित ही बहुत से लोगों की भीड़ होती हैं । तब जब कान्हा नामदेव स्वयं ऑटो चालक है तब आसपास के लोगों से उसका परिचय होना स्वाभाविक बात है । ऐसी स्थिति में आहत से साक्षी का परिचय होने के आधार पर साक्ष्य को संदेहास्पद नहीं किया जा सकता है ।

25. बचाव पक्ष की ओर से तर्क के दौरान यह भी आपत्ति की गई है कि

परीक्षित साक्षीगण घटना के आहत के परिचित और संबंधी है, इसलिए स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से अभियोजन प्रकरण संदेहास्पद दर्शित होता है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है । बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में यह लेख है कि आहत कान्हा नामदेव के साथ हुई घटना के संबंध में **अमनलाल ललपुरे (अ०सा०–05)** द्वारा अखंडनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी घटना को प्रमाणित करने हेतु साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अनिवार्य नहीं है । घटना के आहत और एक चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य पर्याप्त हैं । ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से लिया गया यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है । न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्तगण ने पूर्व रंजिश के कारण कान्हा नामदेव को गंभीर उपहति कारित की है ।

26. **विवेचना अधिकारी सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रकरण के साक्षी अनिल नामदेव, सुभम नगाईच, राजेश सोनकर का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था । गवाहों की उपस्थिति में आरोपी गिरधारी सोनी से पूछताछ कर उसका **मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी०–10)** लेखबद्ध किया था। आरोपी गिरधारी सोनी द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में यह बताये जाने से कि, घटना के समय पहने नीले रंग की उक्त टीशर्ट व घटना में प्रयुक्त चाकू को घर में छिपाकर रखा हूं, चलो चलकर बरामद करा देता हूं। आरोपी

के निशानदेही पर साक्षियों की उपस्थिति में आरोपी द्वारा निकालकर पेश किये जाने पर एक नीले रंग का फूल टीशर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे हुये जिसे गोल घेरा किया गया है तथा एक लोहे का चाकू **आर्टिकल–ए 2** जिसमें लकडी का बेट लगा है, लोहे धारदार की लंबाई 5.5 इंच व बेट की लंबाई 4 इंच कुल 9.5 इंच लंबाई जिसमें खून का धब्बा लगा है को जप्तकर **जप्ती पत्रक प्रदर्श०पी–12** तैयार किया गया।

27. **विवेचना अधिकारी सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी लवकुश सोनी से गवाहो की उपस्थिति में पूछताछकर उसका **मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श०पी–10 ए** लेखबद्ध किया था। आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में यह बताये जाने से घटना के समय पहने हुये ग्रेय रंग के टीशर्ट जिसमें खून लगा है को घर में छुपाकर रखा हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। आरोपी लवकुश सोनी के निशानदेही पर गवाहों की उपस्थिति में आरोपी द्वारा निकालकर पेश किये जाने पर एक ग्रेय रंग का फूल टीशर्ट जिसमे खून का धब्बा लगा हुआ है, जिसे गोल घेरे से धेरा गया है को जप्तकर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०–13** तैयार किया था। घटनास्थल कामानिया गेट गौरेला भागू दुकान के पास से तीन अलग–अलग कॉटन स्वेब, जिसमे खून लगा है व नमूना सादा स्वेब जिसे क्रमशः 1, 2, 3, 4 नंबर दिया गया है को साक्षियों की उपस्थिति में जप्तकर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०–11** तैयार किया गया है।

28. **विवेचना अधिकारी सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी गिरधारी सोनी व लवकुश सोनी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से गवाहों की उपस्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर **गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी०–14 एवं प्रदर्श पी०–15** तैयार किया था। दिनांक 04/11/2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्वास अस्पताल गौरेला को आहत कान्हा नामदेव के बेडहेड टिकट प्रदान किये जाने हेतु **आवेदन प्रदर्श०पी–27** तैयार कर प्रेषित किया था। दिनांक 04/11/2024 को सीएचसी गौरेला जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को आहत कान्हा नामदेव के बेडहेड टिकट के आधार पर आई चोटों का खुलासा कर रिपोर्ट दिये जाने हेतु **मुलाहिजा आवेदन प्रदर्श पी०–28** तैयार कर प्रेषित किया था ।

29. **विवेचना अधिकारी सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि बीएमओ सीएचसी गौरेला को जप्तशुदा चाकू, टीशर्ट दो नग की क्वेरी कर क्वेरी रिपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु **आवेदन प्रदर्श पी०–29** तैयार कर प्रेषित किया था । दिनांक 06/11/2024 को गवाहों की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर **नजरी नक्शा प्रदर्श पी०–19** तैयार किया था । प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शो का रासायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु **एफएसएल ड्राफ्ट प्रदर्श पी०–30** तैयार करा कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञानप्रयोगशाला भरनी परसदा बिलासपुर को भेजवाया था तथा

क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर से **पावती प्रदर्श पी०–31** प्राप्त किया गया था ।

30. **विवेचना अधिकारी सनत कुमार मात्रे (अ०सा०–08)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रिजर्व कर दिये गये वस्तुओं की जप्ती कर जप्ती पत्रक तैयार किया था । यह अस्वीकार किया है कि वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा उक्त वस्तुओं को कहां से प्राप्त किया गया था वह नहीं बता सकता है । विवेचना अधिकारी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आरोपियों का मेमोरेण्डम उसके द्वारा थाने में तैयार किया गया था । यह अस्वीकार किया है कि वह गवाहों के साथ मिलकर अभियुक्तगणों को झूठा फंसाने के लिए झूठा मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध कर लिया है । यह अस्वीकार किया है कि वह प्रार्थीगणों के साथ मिलकर अभियुक्तगणों को झूठा फंसाने की नीयत से झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है। यह स्वीकार किया है कि मेमोरेण्डम साक्षी को उसने कोई लिखित सूचना नहीं दिया था । विवेचना अधिकारी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त साक्षीगण कहां रहते हैं वह नहीं बता सकता है । यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी अनिल से चाकू मंगाकर अभियुक्त से जप्ती होना बताया है।

31. **चिकित्सकीय साक्षी डॉ० अभिमन्यु सिंह (अ०सा०–07)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि वह वर्ष 2012 से दिनांक तक सामुदायिक स्वस्थ्य

केन्द्र गौरेला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 06/11/2024 को थाना प्रभारी गौरेला के द्वारा आहत कान्हा नामदेव के बेडहेट टिकट के आधार पर आई चोट की खुलासा करने से संबंधित मुलाहिजा आवेदन के साथ आहत कान्हा नामदेव को उसके समक्ष लाये जाने पर उसने परीक्षण कर पाया था कि 01.–आहत के गले के सामने भाग पर 15 सेमी० का एक इन्साईज्ड वुंड था जो कि, कंठ(एडम एप्पल) के नीचे था । 02.–आहत के दांये कान के पिछले हिस्से पर एक 14 सेमी का इन्साईज्ड वुंड था । 03.–आहत बांये कान के नीचे 6 सेमी का इन्साईज्ड वुंड था ।

32. **चिकित्सकीय साक्षी डॉ० अभिमन्यु सिंह (अ०सा०–07)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि **रिपोर्ट प्रदर्श पी०–21** के अनुसार इंजरी क्रमांक 01, 02, 03 तीनों ग्रेवियस नेचर की थी जो किसी धारदार एवं कठोर हथियार से पहुंचायी गयी थी । दिनांक 04/11/2024 को थाना प्रभारी गौरेला के द्वारा थाना गौरेला के अपराध क्रमांक 356/24 अंतर्गत धारा 109(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं का क्वेरी कर प्रश्नानुसार अभिमत प्रदान किये जाने का आवेदन मुलाहिजा रिपोर्ट सीलबंद वस्तु एवं बेडहेट टिकट के साथ उसके समक्ष क्वेरी हेतु लाया गया था । उसने उक्त आवेदन के पृष्ठ भाग का क्वेरी कर **क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी०–22** के अनुसार इंजरी क्रमांक 01 पर आहत को आयी चोट जो कि जप्तशुदा लोहे से आ सकती है । 02– आहत को आई चोटों

से आहत की मृत्यु हो सकती थी। 03– जप्तशुदा चाकू में मानव रक्त है कन्फर्म करने हेतु एफएसएल भेजे जाने की सलाह दी थी। 04– जप्तशुदा टी–शर्ट मे जो लाल रंग के धब्बे है, वह मानव रक्त है के कन्फर्म करने के लिए एफएसएल कराये जाने की सलाह दिया था ।

33. **अभियोजन साक्षी अनिल नामदेव (अ०सा०–03)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वह बिश्वास क्लीनिक जाकर देखा तो उसके भाई के गले पर, दाहिने कान के पीछे, सिर के पीछे चोट लगी थी । गले की चोट गहरी थी । कान्हा से पूछने पर उसने आरोपी गिरधारी के द्वारा गले में चाकू से मारना तथा दूसरा आरोपी लवकुश उसे पकड़ा हुआ था । उसके बाद बिश्वास क्लीनिक में ही उसके भाई का आपरेशन हुआ। जहाँ वह 3 दिन तक भर्ती था । उसे खून चढ़ाया गया था। उसके सोनोग्राफी आदि टेस्ट किया गया था। उसके पश्चात् उसे बिश्वास क्लीनिक से छुट्टी दे दी गई थी । वह पुलिस वालों के साथ आरोपी गिरधारी के घर गया था । आरोपीगण के द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय पहने कपड़े टी–शर्ट व शर्ट को निकाल कर दिए जाने पर उसके समक्ष जप्त किया गया था। पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान लिये थे ।

34. **अभियोजन साक्षी अनिल नामदेव (अ०सा०–03)** के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वह थाना गौरेला जाकर **प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी०–09** दर्ज कराया था । पुलिस वालों ने उसके समक्ष आरोपीगण गिरधारी सोनी और

लवकुश सोनी से पूछताछ कर उनका **मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी०–10** लेखबद्ध नहीं किये थे। पुलिस वालों ने उसके समक्ष **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०–11** के अनुसार घटना स्थल से खून लगा नमूना को रुई में निकाल कर जप्त किये थे । पुलिस वालों ने उसके समक्ष **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०–12** के अनुसार गिरधारी सोनी से खून लगा टीशर्ट और चाकू को जप्त किये थे । पुलिस वालों ने उसके समक्ष **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी०–13** के अनुसार आरोपी लवकुश सोनी से खून लगा टीशर्ट जप्त किये थे ।

35. **अभियोजन साक्षी अनिल नामदेव (अ०सा०–03)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उक्त भीड़भाड़ रात्रि 11:00 बजे तक रहती है या नहीं, चूंकि वह रात्रि 10:00 बजे घर चला जाता है । यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपीगण से उसका भाई कान्हा का पुराना रंजिश चला आ रहा था । यह स्वीकार किया है कि आरोपी गिरधारी के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर उसके भाई कान्हा के विरुद्ध मामला बना है जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है । यह स्वीकार किया है कि उसके भाई के द्वारा आरोपी गिरधारी के साथ चौक में मारपीट किया गया था लेकिन यह नहीं मालूम कि उसके भाई के द्वारा गिरधारी को चाकू से गला, पीठ, बांह में मारपीट किया गया था या नहीं । चूंकि घटना के समय वह बुढ़ार में था ।

36. **अभियोजन साक्षी अनिल नामदेव (अ०सा०–03)** ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि आरोपीगण से पुलिस वाले

पूछताछ थाने में किये थे उस समय वह और आरोपीगण व थाने के स्टाफ उपस्थित थे। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने आरोपीगण से उसके समक्ष कोई पूछताछ नहीं किये थे। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने आरोपीगण से कोई वस्तु की जप्ती उसके सामने नहीं की थी। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस वाले उस दिन उससे 4–5 कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे । यह अस्वीकार किया है कि उससे पुलिस वाले किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कराये थे ।

37. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उनसे संपत्ति की जप्ती हुई थी एवं जप्तशुदा संपत्ति के क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया । चिकित्सक द्वारा दिए गए क्यूरी रिपोर्ट से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा संपत्ति का रासायनिक परीक्षण कराया गया । क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट **प्रदर्श पी०–33** के अनुसार–

क्रमांक	पैकेट अंकित	अंदर पाए प्रदर्शों का विवरण	यहां अंकित	किससे/किसका जप्ती दिनांक
01	A	कॉटन स्वाब	A	घटनास्थल
02	B	कॉटन स्वाब	B	घटनास्थल
03	C	कॉटन स्वाब	C	घटनास्थल
04	D	कॉटन स्वाब	D	घटनास्थल
05	E	फुल टी–शर्ट	E	आरोपी गिरधारी सोनी से
06	F	चाकू	F	आरोपी गिरधारी सोनी से
07	G	फुल टी–शर्ट	G	आरोपी लवकुश सोनी से

38. उक्त प्रदर्शों के परीक्षण हेतु प्रदर्श A, B, C, D, E, F, G पर बेंजाडीन तथा क्रिस्टल टेस्ट किया गया। प्रदर्श A, B, C, E, F, G पर रक्त पाया गया तथा इन प्रदर्शों पर रक्त की प्रजाति के परीक्षण किए गए। प्रदर्श D पर रक्त नहीं पाए गए। रक्त धब्बों की प्रजाति हेतु सीरम विज्ञानी (Serology) परीक्षण करने पर प्रदर्श A, B, C, E, F, G में मानव रक्त पाए गए जिनपर रक्त समूह (Blood Grouping) परीक्षण किए गए। रक्त धब्बों की रक्त समूह (Blood Gouping) परीक्षण हेतु सीरम विज्ञानी (Serology) परीक्षण करने पर प्रदर्श A, B, C, E, F, G पर परीक्षण परिणाम अनिश्चित (Inconclusive) है। अतः रक्त समूह परिणाम ज्ञात नहीं किया जा सका है।

39. प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्तशुदा कपड़े एवं अभियुक्त गिरधारी सोनी से जप्त चाकु में रक्त के धब्बे पाए गए हैं, तब अभियुक्तगण ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरणात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके आधिपत्य से जप्तशुदा हथियार और उनके कपड़े रक्त लगे हुए कैसे थे। मात्र यह बचाव प्रस्तुत करना कि रक्त समूह ज्ञात नहीं है, मान्य किए जाने योग्य नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क के दौरान यह आपत्ति किया है कि प्रकरण में घटनास्थल क्या है? यह अखंडनीय रूप से प्रमाणित नहीं है। आहत और साक्षीगण के द्वारा भिन्न–भिन्न घटनास्थल बताया जा रहा है जो कि अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद करता है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ

देते हुए दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

40. बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में यह लेख है कि प्रकरण में प्रार्थी कान्हा नामदेव ने घटनास्थल जैन भोजनालय के सामने बताया गया है । अभिलेख में संलग्न पटवारी नक्शा प्रदर्श पी०–16 भागू किराना स्टोर के सामने दर्शित किया गया है । पुलिस द्वारा तैयार नजरी नक्शा प्रदर्श पी०–19 में घटनास्थल कमानिया गेट के पास स्थित भागू किराना दुकान के पास का दर्शाया गया है । प्रकरण में आए तथ्य के अनुसार फागू किराना दुकान और जैन भोजनालय आसपास ही है । घटनास्थल में मामूली दूरियां या अंतर घटना को संदेहास्पद नहीं करता है । अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

41. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि आहत कान्हा नामदेव को चिकित्सकीय प्रतिवेदन के अनुसार गंभीर चोट कारित नहीं हुई है । अतः अभियुक्तगण को आरोपित धारा से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है । बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह लेख है कि कान्हा नामदेव को गले में चोट कारित हुई है जो कि शरीर का नाजुक हिस्सा होता है, यह अनिवार्य नहीं है कि आहत का अस्थि भंग हो तभी गंभीर प्रकृति का चोट हो सकता है । **भारतीय न्याय संहिता की धारा 109** हत्या करने के प्रयत्न को 02 भागों में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार–

धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न (1)– जो कोई, किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारवास के दण्डादेश के अधीन है, तब यदि उपहति कारित करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारवास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा।

42. उक्त प्रावधान के तहत् यह स्पष्ट है कि यह अनिवार्य नहीं है कि आहत को कारित उपहति से वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाए। इस प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा आहत कान्हा नामदेव को हत्या करने के आशय से चाकू जैसे घातक धारदार हथियार का उपयोग किया गया है और उक्त हथियार के उपयोग से शरीर के सबसे नाजूक हिस्से गले पर वार कर उपहति कारित हुई है, रक्त स्त्राव भी

हुआ है । आहत की सर्जरी चिकित्सक के द्वारा किया जाना भी प्रमाणित है । अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

43. न्यायालय को यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण सामान्य आशय अग्रशरण में आहत कान्हा नामदेव पर हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से हमला कर साशय हत्या का प्रयास किया गया है? **भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) में यह परिभाषित किया गया है कि–**

> जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

44. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में यह लेख है कि साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आहत कान्हा नामदेव पर अभियुक्त गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी द्वारा धारदार हथियार चाकू से गले पर वार किया गया है । दोनों ही अभियुक्त एक ही आशय से और ज्ञान रखते हुए कि आहत कान्हा नामदेव को पूर्व रंजिश के कारण उसे उपहति कारित कर उसकी जान को संकट में डालना है, उसपर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग कर धारदार हथियार से उपहति कारित की गई है । जिससे यह परिलक्षित होता है कि दोनों अभियुक्तगण आहत कान्हा नामदेव की हत्या करने का सामान्य आशय गठित कर उसके अग्रशरण में आहत के गले पर

आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है ।

45. अतः न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि **अभियुक्तगण ने दिनांक–23/10/2024 को समय रात्रि लगभग 08:30–08:35 बजे के मध्य स्थान कमानिया गेट के पास, भागू दुकान के सामने मेनरोड गौरेला, अंतर्गत थाना गौरेला जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत कान्हा नामदेव की हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से उसके गर्दन व सिर में मारकर उपहति कारित कर हत्या करने का प्रयास किया, उक्त कार्य के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी हत्या के अपराध के दोषी होते**। अतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01** का निष्कर्ष **"प्रमाणित हुआ"** में दिया जाता है ।

–//"दोषसिद्धि" एवं "दण्डादेश"//–

46. इस प्रकार अभियोजन की ओर से उपलब्ध कराये गये समग्र अभिलेखगत साक्ष्य की मीमांसा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अभियोजन ने **अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** के विरुद्ध अधिरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** को **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा–**

109(2) **सहपठित धारा** 3(5) के अपराध में **सिद्धदोष** पाते हुये **दोषसिद्ध** किया जाता है ।

47. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण को सुने जाने हेतु यह निर्णय अस्थाई रूप से **धारा–235 दंड प्रकिया संहिता/धारा–258 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अंतर्गत स्थगित किया जाता है।

समय– 11.35 बजे

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड,
जिला–बिलासपुर (छ०ग०)

समय–12.15 बजे

48. प्रकरण पुनः मेरे समक्ष दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया । दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण अत्यंत कम उम्र के बालक है, घर में मां अकेली है । अतः उन्हें कम–से कम दंड से दंडित किया जावे। अभियोजन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्य को देखते हुए अधिक–से–अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

49. अभियुक्तगण के द्वारा यह जानते हुए कि उनके द्वारा कारित कृत्य से आहत कान्हा नामदेव की मृत्यु कारित हो सकती थी, उक्त अपराध को कारित

किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाना विधितः उचित दर्शित नहीं होता है। **अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** द्वारा कारित अपराध, अभियुक्तगण की सामाजिक, आर्थिक, परिस्थिति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया ।

50. **अभियुक्तगण गिरधारी सोनी एवं लवकुश सोनी** को **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा–109(2) सहपठित धारा** 3(5) के तहत **10–10 वर्ष** का सश्रम कारावास और **5,000–5,000/–रु० (अक्षरी पाँच–पाँच हजार रुपये)** के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है । अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम में **प्रत्येक को 03–03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास** भुगताया जायेगा ।

51. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395(1)(ख)** के तहत् पी़डित/आहत कान्हा नामदेव को उसे कारित उपहति के प्रतिकर स्वरूप अभियुक्त पर अधिरोपित जुर्माने में से 5,000/– रूपए प्रदान की जाएगी ।

52. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। जमानत मुचलके भारमुक्त कर अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण का सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल पेण्ड्रारोड भेजा जावे ।

53. अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई उपरोक्त अवधि के संबंध में धारा–468 भा०ना०सु०ंस० के अंतर्गत प्रमाण–पत्र तैयार कर निर्णय के साथ

संलग्न की गई है, जो निर्णय का भाग होगा । अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई उक्त अवधि को अभियुक्तगण को दी गई मुख्य्य कारावास के दण्ड में समायोजित किया जावे।

54. अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र धारा–481 भा०ना०सु०सं० के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक से 06 माह के लिये प्रवृत्त रहेगा।

55. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति खून लगा हुआ 03 अलग–अलग कॉटन का स्वेब (रूई) व नमूना सादा स्वेब (रूई) क्रमशः 1, 2, 3, 4 नंबर अंकित किया गया है, एक नीले रंग का फुल टी–शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगा है, एक लोहे का चाकू जिसमें लकड़ी का बेठ लगा है, लोहे की धारदार लंबाई 5.5 इंच व बेठ की लंबाई 4 इंच, कुल 9.5 इंच लंबाई जिसमें खून का धब्बा लगा है एवं एक गे कलर का फुल टी–शर्ट जिसमें खून का धब्बा लगा है, को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त संपत्ति का निराकरण किया जावेगा ।

56. निर्णय की सुस्पष्ट, पठनीय, सत्यापित प्रतिलिपि अभियुक्तगण एवं अभियोजन को निःशुल्क **धारा–404 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अंतर्गत प्रदान की जावे तथा आदेश पत्रिका में पावती ली जावे ।

57. निर्णय की एक प्रति सजा वारंट के साथ जेल अधीक्षक पेण्ड्रारोड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि प्रशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत या अन्यथा किसी सुसंगत कार्यवाही के तहत् यदि अभियुक्तगण को राज्य के किसी भी केन्द्रीय अथवा जिला जेल में प्रेषित/स्थानांतरित किया जाता है तो अभियुक्तगण एवं सजा वारंट के साथ–साथ जेल अधीक्षक को दी जा रही निर्णय की प्रतिलिपि भी संबंधित जेल को प्रेषित करें।

58. निर्णय की एक अन्य प्रतिलिपि धारा–406 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) को भेजी जावे ।

59. अभियुक्तगण को इस निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध अपील किए जाने के विधिक अधिकार से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि वह जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

60. आहत कान्हा नामदेव को अपराध के परिणाम स्वरूप क्षति होना प्रमाणित पाया गया है । अतः आहत को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना वर्ष, 2011 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु अनुशंसा की जाती है । निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर प्रेषित कर आहत को प्रदान किये जाने वाली

क्षतिपूर्ति राशि बाबत् आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही की अनुशंसा सहित प्रेषित किया जावे।

दिनांक–09/07/2026
स्थान–पेण्ड्रारोड, बिलासपुर (छ०ग०)

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निदेशन पर टंकित

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

-

सत्र प्रकरण क्रमांक–01/2025

–::धारा–468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत::–
–:अभिरक्षा अवधि का प्रमाण–पत्र:–

क्र.	अभियुक्त का नाम व पता	गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा की कुल अवधि
1	गिरधारी सोनी पिता मोहन सोनी	24/10/2024	निरंक	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024
2	लवकुश सोनी पिता मोहन सोनी	24/10/2024	निरंक	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024	दिनांक–24/10/2024 से दिनांक–23/11/2024

दिनांक–09/07/2026
स्थान–पेण्ड्रारोड, बिलासपुर छ०ग०

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

JYOTI AGRAWAL Digitally signed by JYOTI AGRAWAL